Grants approved by IMF

3727. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that International Monetary Fund has approved a large amount to India as reported in a section of press on the 1st July, 1992;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether IMF has imposed any conditions on India for granting the money, if so, the details thereof; and

(d) whether any projects have been earmarked for funding by IMF loans?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (c) Government of India entered into a 20-anonth Standby Arrangement with the International Monetary Fund for SDR 1656 million on 31.10.91. On the basis of the letter of intent dated 2-6-1992, alongwith Memorandum of Economic Policies for 1992-93, sent by Finance Minister to the Managing Director, International Monetary Fund, an instalment of SDR 462 million was released by International Monetary Fund on 2.7.1992. A copy of the letter of intent dated 2.6.1992 was placed on the Table of the House.

(d) International Monetary Fund funding is not project-tied-

भारतीय सीमा पर नशीली दवाओं का व्यापार

3728. श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सीमाओं पर नशीली दवाओं का अवैध व्यापार हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है और घटनावार ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा नशीली दवाइयों के इस व्यापार को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां, चूंकि भारत दो बड़े अवैध नशीले पदार्थ उत्पाद क्षेत्र, गोल्डन क्रिसेन्ट तथा गोल्डन त्रिकोण, के बीच स्थित है ।

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारों को कई एजेंसियों द्वारा मामलों का पता चला है । जब सीमा क्षेत्र के समीप जब्ती नहीं होती यह हमेशा निश्चित रूप से पता लगाना सम्भव नहीं होता कि नशीला पदार्थ सीमा पार से आया है। तथापि, जब्त किये गये नशीले पदार्थों की संख्या, जो अवैध व्यापारियों द्वारा सीमा पार से तस्करी के लिए अति पसन्द किए जाते है निम्न प्रकार हैं :–

नशीले पदार्थ	1990	1991
हेरोइन	764	1158
हशीश	753	335
गांजा	1782	3140

विभिन्न एजेंसियों द्वारा पकड़ लगे सभी मामलों के घटनावार ब्यौरे केन्द्रित रूप से नहीं रखे जाते ।

(ग) सरकार ने स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का अधिनियम तथा 1989 में संशोधनों के साथ कठोर प्रावधानों को सन्निविष्ट किया जैसे दोबारा अपराध करने पर मृत्यु दण्ड, नशीले पदार्थों से कमाए धन से अर्जित संदिग्ध, परिसम्पतियों का समपहरण, कठोर जमानत प्रावधान, नशीले पदार्थ के अपराधों आदि के लिए विशेष अदालतों का गठन स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 का अधिनियमन किया गया है। इसमें सीमा क्षेत्रों से अवैध, व्यापार के लिए अधिक समय की नजरबंदी का प्रावधान है।